(52)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3317—तीन/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—07—2013 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी जिला अशोकनगर प्रकरण कमांक 22/अपील/2002—03.

.....

रामसखी बाई पुत्री श्री बाबू लाल कलार
निवासी ग्राम लोहारी तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0 प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

ललिता बाई विधवा लक्ष्मण हरिजन
निवासी नानाखेड़ा गंदा नाला के पास
उज्जैन म0प्र0
विवादित आराजी निवासी ग्राम लोहारी
चंदेरी जिला अशोक नगर म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री कुंअर सिंह कुशवाह अभिभाषक, आवेदक
श्री जे0 एस0 गौड़, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश
(आज दिनांक 06-11-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोक नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक रामसखी बाई पुत्री बाबूलाल जाति कलार निवासी लुहारी की ओर से न्यायालय नायव तहसीलदार चन्देरी के प्रकरण कमांक 1/अ–19/2002–03 दिनांक 31.10.02 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की थी जो उनके द्वारा 25.7.13 को निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गंई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनसी न्यायालय के आदेश विधि विधान वाह्य होने से निरसत किये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कहना है कि निगरानीकर्ता का 15 वर्ष पूर्व से निरंतर कब्जा होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। आवेदक द्वारा अर्थदण्ड का भी भुगतान कर रहा है जिसे नजर अंदात करते हुये आदेश पारित किया है उसे निरस्त किया जावे। उनका तर्क है कि अनावेदिका उज्जैन में निवास करती है उसी समय इस ग्राम पटट्ा वितरण का कार्य चल रहा था आवेदन मंगवा कर भूमि हीनो को पटटे की कार्यवाही की गई जो उसी गांव के निवासी हो उनको ही प्राथमिकता के आधार पर पटटे दिये गये थे। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है अनुविभागीय अधिकारी का अदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तंर्क में कहा गया है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील में स्वयं के कब्जे की भूमि पर अनावेदक को पटटे दिये जाने के संबंध में दिनांक 20.2.03 को जिलाधीश गुना को दिया गया आवेदन भी संलग्न अभिलेखों के अध्ययन से प्रकट होता है कि अपीलांट को स्वयं के कब्जे की भूमि पर अनावेदकगण को पटटे दिये जाने पर आपत्ति । किन्तु आपत्ति तभी वास्तविक होती है जब उस भूमि में आवेदकका स्वामित्व होता है अनुचित प्रकार से कब्जे की गई भूमि को अतिकमण मान कर दण्ड का प्रावधान है। जबकि यहा आवेदक ने उसे ही आधार मानकर अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की है और उज्जैन का निवासी बताया गया है लेकिन कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्याय़ालय अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी जिला अशोकनगर प्रकरण कमांक 22/अपील/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 25.7.13 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर